प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

युगलपीठ :

कोरम : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायमूर्ति

एवं

माननीय श्री रंगनाथ चन्द्राकर, न्यायमूर्ति

विविध अपील (सी.) क्रः 812/2009

अपीलार्थीगण

1. नरेन्द्र कोसरे, पिता मोहन कोसरे, आयु लगभग 48 वर्ष
2. श्रीमती लक्ष्मीदेवी, पति नरेन्द्र कोसरे, दोनों निवासी नेहरू चौक, कैम्प-1 भिलाई नगर, दुर्ग नगर एवं जिला : दुर्ग छत्तीसगढ़

विरूद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यार्थीगण

1. कुन्दन लाल बैरवा पिता श्री बी.एल. बैरवा, आयु लगभग 57 वर्ष, निवासी सेक्टर-8, गली नं. 51, मकान नं. 4-F, भिलाई नगर, दुर्ग नगर, जिला दुर्ग (छ.ग.)

(वाहन स्वामी मारूति नं. सी.जी. -07-ZD/2412)

2. यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा शाखा प्रबंधक कार्यालय जी.ई. रोड, पावर हाउस, भिलाई (छ.ग.) (वाहन मारूति नं. सीजी 07-जेड डी./2412 का बीमाकर्ता)

3. देव कुमार पिता श्री पहेसरी, आयु लगभग 24 वर्ष, निवासी 3 दर्शन मंदिर के पीछे, थाना छावनी, जिला दुर्ग (छ.ग.)

(सेन्ट्रो मोटर सायकल नं. जीजी -08-एफ/0893 का स्वामी एवं चालक)

4. अशोक बतरा निवासी लाल बाग कॉलोनी

राजनांदगांव (छ.ग.)

धारा 173 मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत अपील ज्ञापन

उपस्थित

श्री आर. प्रधान अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से/ सुश्री सोनिया कुलदीप अधिवक्ता, प्रत्यार्थी क्र. 1 की ओर से

श्री दशरथ गुप्ता अधिवक्ता, प्रत्यार्थी क्र. 2 की ओर से

श्री अमियाकांत तिवारी, अधिवक्ता, प्रत्यार्थी क्र. 3 की ओर से

प्रत्यार्थी क्र. 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं यद्यपि नोटिस की तामिली की गई।

आदेश

(8 फरवरी 2012)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय श्री राजीव गुप्ता मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

यह अपील अपीलार्थीगण जो मृतक दीक्षित कुमार के अभागे माता-पिता है के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो सप्तम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दुर्ग (संक्षेप में अधिकरण) द्वारा दावा प्रकरण क्र. 47/2007 में दिनांक 31.01.2009 को पारित अधिनिर्णय के द्वारा प्रदान **किए गए मुआवजा को बढ़ाये जाने के लिए प्रस्तुत की गई है।**

2) अपीलार्थीगण/दावेदारगण जो मृतक दीक्षित कुमार के अभागे माता-पिता है, के द्वारा धारा 166 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दावा आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.10.2006 को घटित वाहन दुर्घटना में उसकी मृत्यु कि क्षतिपूर्ति 20,00,000/-रू. (बीस लाख रूपये) दावा प्रस्तुत किया था, अधिकरण ने दावा प्रस्तुत होने दिनांक से वास्तविक भुगतान के दिनांक तक छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित कुल धनराशि 2,49,500/-रू. क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया है।

3) अधिकरण ने अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए समस्त साक्षियों कि सूक्ष्म परीक्षण करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि दावेदारों के पुत्र दीक्षित कुमार कि मृत्यु दिनांक 01.10.2006 को वाहन दुर्घटना में आई चोटों के कारण हुई थी।

यह दुर्घटना मोटर सायकल क्र. सीजी-08-एफ/0893 के मोटर सायकल चालक के असावधानी से घटित हुई, जिस पर मृतक दीक्षित कुमार पीछे सवार के रूप में सफर कर रहे थे और दूसरे वाहन मारूति कार क्र. सीजी-07-जेड.डी./2412 के वाहन चालक के उपेक्षा के कारण हुई। मोटर सायकल चालक एवं मारूति कार के चालक कि उपेक्षा की मात्रा क्रमशः 60%:40% थी। जबकि उपर्युक्त मारूति कार दुर्घटना दिनांक को यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी द्वारा बीमाकृत थी, एवं बीमा कंपनी पॉलिसी प्रतिबंधों के किसी उल्लंघन को प्रमाणित नहीं कर सकी, बीमा कंपनी दावेदारगण को अवधारित क्षतिपूर्ति के 40% के भुगतान के लिए उत्तरदायी थी एवं शेष 60% क्षतिपूर्ति मोटर सायकल के स्वामी-सह चालक संचालक द्वारा भुगतान की जानी थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4) अधिकरण ने मृतक की आय 3000/- रू. मासिक एवं 36,000/-रू. वार्षिक निर्धारित की है। 36,000/-रू. में से मृतक के निजी खर्चों हेतु 1/3 भाग की कटौती करने पर दावेदारगण की निर्भरता 24,000/-रू. प्रतिवर्ष अंकित की गई। 24,000/-रू. की वार्षिक निर्भरता को 10 के गुणांक से गुणित करने पर 2,40,000/रू. क्षतिपूर्ति अभिनिर्धारित की गई। अन्य शीर्षकों के अंतर्गत 9,500/-रू. की अतिरिक्त राशि अधिनिर्णित करते हुए अधिकरण ने वाहन दुर्घटना में मृतक दीक्षित कुमार की मृत्यु के लिए दावेदारों को क्षतिपूर्ति के रूप में कुल राशि 2,49,500/-रू. अधिनिर्णित की । अधिकरण ने आगे उपरोक्त क्षतिपूर्ति राशि 2,49,500/-रू. पर दावा याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के भुगतान का निर्देश दिया।

5) श्री आर.प्रधान अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने 'योगदायी उपेक्षा' का प्रकरण मानते हुए मारूति कार के बीमाकर्ता को निर्धारित क्षतिपूर्ति का केवल 40 प्रतिशत के भुगतान करने का

निर्देश देने में त्रुटि की है, जबकि वस्तुतः यह मृतक दीक्षित कुमार के प्रति 'संयुक्त उपेक्षा' का प्रकरण था, मृतक की आय मात्र 3000/-रू. मासिक एवं 36,000/-रू. वार्षिक निर्धारित करने में त्रुटि की निम्नतर गुणांक 10 का चयन करने में तथा 2,49,500/-रू. मात्र की न्यूनतम क्षतिपूर्ति प्रदान करने में त्रुटि की है।

6) दूसरी ओर श्री दशरथ गुप्ता विद्वान अधिवक्ता प्रत्यार्थी क्र. 2 यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने 2,49,500/-रू. की अत्याधिक राशि अधिनिर्णित की है। मृतक की आय में से उसकी व्यक्तिगत व्ययों के लिए केवल 1/3 हिस्सा घटाने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित प्रकरणों में प्रतिपादित सिद्धांतों सैय्यद बशीर अहमद व अन्य विरूद्ध मोहम्मद जमील व अन्य (2009) 2 एस.सी.सी.225 तथा श्रीमती सरला वर्मा व अन्य विरूद्ध दिल्ली परिवहन निगम व अन्य (2009) 6 एस.सी.सी., 121 को ध्यान में रखते हुए मृतक की आय में 50% कटौती किया जाना था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7) अभियाकांत तिवारी प्रत्यार्थी क्र. 3, देवकुमार मोटर सायकल के स्वामी-सह चालक के विद्वान अधिवक्ता ने भी तर्क प्रस्तुत किया कि अधिकरण ने प्रत्यार्थी क्र. 3 एवं 4 को दावेदारों को निर्धारित क्षतिपूर्ति का 60 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश देने में त्रुटि की है।

8) सुश्री सोनिया कुलदीप विद्वान अधिवक्ता प्रत्यार्थी क्र. 1 कुंदन लाल बैरवा जो मारूति कार का स्वामी है कि ओर से उपस्थित होकर अधिनिर्णय का भी समर्थन किया है।

9) यह निर्विवादित है कि दावेदारों का पुत्र दीक्षित कुमार उस मोटर सायकल पर पीछे बैठा था, जो दुर्घटना में शामिल था जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई थी। अधिकरण के समक्ष या हमारे समुख यह किसी पक्षकार का प्रकरण नहीं था कि वह दुर्घटना में संलिप्त दोनों वाहनों में से किसी को चला रहा था।

10) माननीय उच्चतम न्यायालय ने **टी.ओ. एंथनी विरूद्ध करवर्नन तथा अन्य (2008) 3 एस.सी.सी 748** में प्रकरण में 'योगदायी उपेक्षा' एवं 'संयुक्त उपेक्षा

के प्रकरणों के मध्य अंतर को रेखांकित करते हुए कंडिका 6 व 7 में प्रतिपादित किया है :

"6. "संयुक्त उपेक्षा" दो या अधिक व्यक्तियों की ओर से उपेक्षा को संदर्भित करती है। जहाँ कोई व्यक्ति दो या अधिक दोषकर्ताओं की ओर से उपेक्षा के परिणामस्वरूप घायल होता है, वहाँ यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति उन दोषकर्ताओं की संयुक्त उपेक्षा के कारण घायल हुआ।

ऐसे प्रकरण में, प्रत्येक दोषकर्ता सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए घायल व्यक्ति के प्रति संयुक्त एवं पृथक रूप से दायी होता है और घायल व्यक्ति को उन सभी के विरुद्ध या उनमें से किसी के भी विरुद्ध कार्यवाही करने का विकल्प होता है। ऐसे प्रकरण में, घायल व्यक्ति को प्रत्येक दोषकर्ता के उत्तरदायित्व की सीमा को पृथक रूप से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होती है, और न ही न्यायालय के लिए प्रत्येक दोषकर्ता के दायित्व की सीमा को पृथक रूप से निर्धारित करना आवश्यक होता है। दूसरी ओर, जहाँ किसी व्यक्ति को चोट पहुँचती है और वह चोट आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों की उपेक्षा के कारण तथा आंशिक रूप से स्वयं उस व्यक्ति की उपेक्षा के परिणामस्वरूप होती है, वहाँ घायल व्यक्ति की वह उपेक्षा, जिसने दुर्घटना में योगदान दिया हो, *उसकी योगदायी उपेक्षा* कहलाती है।

जहाँ घायल व्यक्ति किसी सीमा तक उपेक्षा का दोषी पाया जाता है, वहाँ मात्र उसकी उस उपेक्षा के कारण उसके द्वारा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का दावा खत्म नहीं होता, बल्कि उसकी योगदायी उपेक्षा के अनुपात में उसे प्राप्त होने वाले क्षतिपूर्ति की राशि में कटौती की जाती है।

7). अतः, जब दो वाहन किसी दुर्घटना में सम्मिलित हों, और उनमें से एक चालक, दूसरे चालक पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए क्षतिपूर्ति का दावा करे, तथा दूसरा चालक उपेक्षा से इंकारकरे या यह प्रतिरक्षा ले कि स्वयं घायल दावा-कर्ता ही उपेक्षापूर्ण था, तो इस स्थिति में यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या घायल दावा-कर्ता उपेक्षापूर्ण था, और यदि हाँ, तो उस उपेक्षा का विधिक रूप से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निरूपण किया जाए। अतः, जब दो वाहन किसी दुर्घटना में सम्मिलित हों, और उनमें से एक चालक, दूसरे चालक पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए क्षतिपूर्ति का दावा करे, तथा दूसरा चालक उपेक्षा से इंकारकरे या यह प्रतिरक्षा ले कि स्वयं घायल दावाकर्ता ही उपेक्षापूर्ण था, तो इस स्थिति में यह विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या घायल दावाकर्ता उपेक्षापूर्ण था, और यदि हाँ, तो उसकी उपेक्षा को विधिक रूप में अभिव्यक्त किया जाए। इस संदर्भ में यह भी विचारणीय है कि क्या वह दुर्घटना के लिए सर्वथा अथवा आंशिक रूप से उत्तरदायी था तथा उसकी उत्तरदायिता की मात्रा, अर्थात् उसकी योगदायी उपेक्षा, क्या थी। अतः, जहाँ घायल पक्ष स्वयं आंशिक रूप से उत्तरदायी था, वहाँ "संयुक्त उपेक्षा" का सिद्धान्त लागू नहीं होगा तथा न ही उपेक्षा के संबंध में स्वतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उपेक्षा 50:50 थी, जैसा कि वर्तमान प्रकरण में अभी तक मान लिया गया है। अधिकरण को यह अपेक्षित था कि वह अपीलकर्ता की योगदायी उपेक्षा की सीमा का परीक्षण करता और इस प्रकार **"संयुक्त उपेक्षा"** तथा **"योगदायी उपेक्षा"** के बीच उत्पन्न भ्रम से बचता। परंतु उच्च न्यायालय ने उक्त त्रुटि का समुचित निराकरण करने में विफलता दर्ज की है।**"**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11) उपरोक्त तथ्यों कि पृष्ठभूमि तथा वर्तमान वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा **टी.ओ. एंथनी विरूद्ध करवर्नन एवं अन्य** (पूर्विक) के प्रकरण में प्रतिपादित उक्त सिद्धांत के आलोक में अधिकरण द्वारा वर्तमान प्रकरण में मृतक दीक्षित कुमार के संदर्भ में 'योगदायी उपेक्षा' का प्रकरण मानते हुए जो निष्कर्ष दिया गया है, वह विधि की दृष्टि से स्थिर नहीं रखा जा सकता हैं तथा अपास्त किये जाने योग्य है।

12) अधिकरण ने मृतक की आय का केवल 1/3 भाग को उसके व्यक्तिगत व्यय के घटाने में त्रुटि की है। दुर्घटना की तिथि को मृतक दीक्षित कुमार अविवाहित था तथा दावेदार उसके माता-पिता है।

13) उच्चतम न्यायालय ने **सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य विरूद्ध दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य (2009) 6 एस.सी.सी.** 121 में प्रकाशित प्रकरण में व्यक्तिगत व्यय के लिए कटौती हेतु दिशा-निर्देश निर्धारित करते हुए निम्नानुसार अवलोकित किया :

"31. जहाँ मृतक अविवाहित था और दावेदार माता-पिता हैं, वहाँ कटौती एक भिन्न सिद्धांत का अनुसरण करती है। अविवाहित व्यक्तियों के संबंध में, सामान्यतः व्यक्तिगत और जीवन-यापन व्यय के रूप में 50% की कटौती की जाती है, क्योंकि यह अवधारणा की जाती है कि एक अविवाहित व्यक्ति स्वयं पर अधिक व्यय करने की प्रवृत्ति रखता है। इसके अतिरिक्त, उसके शीघ्र विवाह हो जाने की संभावना भी विद्यमान रहती है, जिस स्थिति में माता-पिता और भाई-बहनों को दिए जाने वाले अंशदान में भारी कटौती होने की संभावना है। इसके अलावा, प्रतिकूल साक्ष्य के अधीन, पिता की स्वयं की आय होने की संभावना है और उसे आश्रित नहीं माना जाएगा तथा केवल माता को ही आश्रित माना जाएगा। प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में, भाई-बहनों को आश्रित नहीं माना जाएगा, क्योंकि वे या तो स्वतंत्र और अर्जनकारी होंगे, अथवा विवाहित होंगे, अथवा पिता पर आश्रित होंगे।

32. अतः यदि मृतक के पश्चात् माता-पिता और भाई-बहन उत्तरजीवी हों, तब भी केवल माता को ही आश्रित माना जाएगा, तथा 50% को कुँवारे व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं जीवनयापन व्यय के रूप में और 50% को कुटुम्ब को दिए गए अंशदान के रूप में माना जाएगा। तथापि, जहाँ अविवाहित व्यक्ति का परिवार बड़ा है और मृतक की आय पर आश्रित है, जैसा कि उस प्रकरण में जहाँ उसकी विधवा माता और बड़ी संख्या में छोटी अनर्जनकारी बहनें या भाई हैं, वहाँ उसके व्यक्तिगत और जीवन-यापन व्यय को एक-तिहाई तक सीमित किया जा सकता है और परिवार को दिए जाने वाले अंशदान को दो-तिहाई माना जाएगा।

14). दावेदार मृतक के माता-पिता हैं, इस बात को ध्यान में लेते हुए अधिकरण द्वारा चयनित गुणक10 में, शीर्ष न्यायालय द्वारा मुनिसिपल कार्पोरेशन ऑफ ग्रेटर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बॉम्बे विरुद्ध लक्ष्मण अय्यर तथा अन्य, (2003) 8 एस.सी.सी.-731 में प्रतिवेदित प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर कोई दोष नहीं ठहराया जा सकता। जिसमें यह अभिधारित किया गया है कि उन प्रकरणों में जहाँ दावाकर्ता मृतक के माता-पिता हों, गुणांक किसी भी दशा में 10 से अधिक नहीं होना चाहिए।

15). उपर्युक्त कारणों से, हम यह उचित और न्याय के हित में समझते हैं कि प्रकरण को ऊपर की गई टिप्पणियों के अनुरूप पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया जाए।

16). अतः अपीलार्थियों/दावेदारों द्वारा दायर अपील स्वीकार की जाती है। दिनांक 31.01.2009 के आक्षेपित अधिनिर्णय को अपास्त करते हुए, प्रकरण में पक्षकारों को उचित अवसर प्रदान करते हुए नवीन अधिनिर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधिकरण को प्रतिप्रेषित किया जाता है। चूँकि दुर्घटना वर्ष 2006 से संबंधित है, अतः अधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वह अधिकरण के अभिलेख प्राप्त होने की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर प्रकरण का अंतिम निर्णय करे। पक्षकारों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 19.03.2012 को अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।

17). अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) को आदेशित किया जाता है कि वे तीन दिनों के भीतर अधिकरण के अभिलेख भिजवाएं।

18). वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित /-
मुख्य न्यायमूर्ति

हस्ताक्षरित /-
रंगनाथ चंद्राकर
न्यायमूर्ति

अस्वीकरणःहिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त

कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by Adv Nikhat Shandan Jafri

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur